बिन्दु–5: अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

26 भ. विनियम–(1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से परिषद् के कार्य–कलापों के प्रशासन के लिये ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्–

(क) परिषद् की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसी बैठकें की जायें। ऐसी बैठकों में कार्यसंचालन और बैठकों की गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या।

(ख) परिषद् के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की शक्ति और कर्त्तव्य

(ग) परिषद के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों और धारा 23 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें,

(घ) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(ड.) परिषद की ओर से संविदा और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन,

(च) परिषद् द्वारा लेखों का रखना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना;

(छ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों का निर्वहन करने की प्रक्रिया;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके किये विनियमों में व्यवस्था की हो या की जा सके।

बिन्दु–6: ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण निम्नवत् है:–

1. प्रशासन 2. निर्माण 3. विपणन 4. सांख्यिकीय 5. भूमि अध्याप्ति 6. प्रचार 7. जन सम्पर्क 8. विधि 9. लेखा 10. सम्भागीय स्तर पर स्थापित मण्डी परिषद् प्रशासन एवं निर्माण कार्यालय 11. प्रदेश में स्थापित मण्डी समितियॉ।

बिन्दु–7: किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना एवं उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है–
सम्पर्क मार्गों के निर्माण तथा लोहिया ग्राम योजना अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत अंगीकृत होने वाले गॉव, जनता के प्रतिनिधि यथा/ मा0 सांसद, मा0 विधायक तथा अन्य जन प्रतिनिधि की परामर्श/संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर स्वीकृत किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण मामलों में, जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये परामर्श का समादर किया जाता है।

बिन्दु–8: ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगा, विवरण;